

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2022 — ज्येष्ठ 3, शक 1944

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2022

क्र. 01/चार/रा.स.चु./2022/1853 — राज्य सभा द्विवार्षिकी निर्वाचन-2022 हेतु लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 12 के तहत माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2022 तथा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2/2022 (1), दिनांक 24 मई, 2022 एवं अधिसूचना संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2/2022 (2), दिनांक 24 मई, 2022 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(भुवनेश यादव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

अधिसूचना

का.आ.____(अ).— राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

सारणी

क्र०सं०	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	04	21.06.2022
2.	तेलंगाना	02	21.06.2022
3.	छत्तीसगढ़	02	29.06.2022
4.	मध्य प्रदेश	03	29.06.2022
5.	तमिलनाडु	06	29.06.2022
6.	कर्नाटक	04	30.06.2022
7.	ओडिशा	03	01.07.2022
8.	महाराष्ट्र	06	04.07.2022
9.	पंजाब	02	04.07.2022
10.	राजस्थान	04	04.07.2022
11.	उत्तर प्रदेश	11	04.07.2022
12.	उत्तराखंड	01	04.07.2022
13.	बिहार	05	07.07.2022
14.	झारखंड	02	07.07.2022
15.	हरियाणा	02	01.08.2022

[फा०सं० एच-11024/2/2021-वि.2]

(दिवाकर सिंह)
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 24th May, 2022

NOTIFICATION

S.O..... (E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhra Pradesh	04	21.06.2022
2.	Telangana	02	21.06.2022
3.	Chhattishgarh	02	29.06.2022
4.	Madhya Pradesh	03	29.06.2022
5.	Tamil Nadu	06	29.06.2022
6.	Karnataka	04	30.06.2022
7.	Odisha	03	01.07.2022
8.	Maharashtra	06	04.07.2022
9.	Punjab	02	04.07.2022
10.	Rajasthan	04	04.07.2022
11.	Uttar Pradesh	11	04.07.2022
12.	Uttarakhand	01	04.07.2022
13.	Bihar	05	07.07.2022
14.	Jharkhand	02	07.07.2022
15.	Haryana	02	01.08.2022

[F.No.H.11024/2/2021-Leg.II]

(Diwakar Singh)
Joint Secretary & Legislative Counsel

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2022 — ज्येष्ठ 03, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2022 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 24 मई, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	तेलंगाना	02
3.	छत्तीसगढ़	02
4.	मध्य प्रदेश	03
5.	तमिलनाडु	06
6.	कर्नाटक	04
7.	ओडिशा	03
8.	महाराष्ट्र	06
9.	पंजाब	02
10.	राजस्थान	04
11.	उत्तर प्रदेश	11
12.	उत्तराखण्ड	01
13.	बिहार	05
14.	झारखण्ड	02
15.	हरियाणा	02

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 31 मई, 2022 (मंगलवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 01 जून, 2022 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 03 जून, 2022 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 10 जून, 2022 (शुक्रवार), और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 13 जून, 2022 (सोमवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ता. / -

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated: 24th May, 2022 — Jyaishtha 03, 1944 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 318/CS-Multi/2/2022(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 24th May, 2022 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	04
2.	Telangana	02
3.	Chhattisgarh	02
4.	Madhya Pradesh	03
5.	Tamil Nadu	06
6.	Karnataka	04
7.	Odisha	03
8.	Maharashtra	06
9.	Punjab	02
10.	Rajasthan	04
11.	Uttar Pradesh	11
12.	Uttarakhand	01
13.	Bihar	05
14.	Jharkhand	02
15.	Haryana	02

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

(a) the 31st May, 2022 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 01st June, 2022 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 03rd June, 2022 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 10th June, 2022 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 13th June, 2022 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2022 — ज्येष्ठ 03, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2022 (2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 24 मई, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	श्री पी. वी. सुब्बा रेड्डी, उप सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल	श्रीमती आर. वनिता रानी, उप सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल
तेलंगाना	श्री चे. उपेन्द्र रेड्डी, संयुक्त सचिव, तेलंगाना राज्य विधानमंडल	श्री ए. सुधाकर, सहायक सचिव, तेलंगाना राज्य विधानमंडल
छत्तीसगढ़	श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री दिनेश त्रिवेदी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
मध्य प्रदेश	श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय	श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय
तमिलनाडु	डॉ. के. श्रीनिवासन, सचिव, तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय	श्री के. रमेश, उप सचिव, तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय
कर्नाटक	श्रीमति एम.के. विशालाक्षी, सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधानसभा, विधान सौध, बेंगलुरु	श्री बी. एस. महालिंगेश, उप सचिव, कर्नाटक विधानसभा, विधान सौध, बेंगलुरु
ओडिशा	श्री बिष्णु प्रसाद मिश्रा, आई.ए.एस. सचिव, ओएसएसएससी, भुवनेश्वर	श्री रंगधर मल्लिक, अवर सचिव, ओडिशा विधान सभा

महाराष्ट्र	श्री राजेंद्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय	1. श्री शिवदर्शन श्रीनिवास साठये, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय 2. श्री मोहन सदाशिव काकड, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय
पंजाब	श्री सुरिंदर पाल, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़	श्री राम लोक खटाना, संयुक्त सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़
राजस्थान	डॉ. जोगा राम, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	श्री विनोद कुमार मिश्रा, मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा
उत्तर प्रदेश	श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	श्री मोहम्मद मुशाहिद, विशेष सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
उत्तराखण्ड	श्री मुकेश सिंघल, सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा	श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा
बिहार	श्री शैलेन्द्र सिंह, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	श्री पवन कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना
झारखण्ड	श्री सैयद जावेद हैदर, प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची	श्री रामनिवास दास, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची
हरियाणा	श्री आर. के. नन्दल, सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़	श्री विष्णु देव, अवर सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़

आदेश से,

हस्ता. /—

(सुमन कुमार दास)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated: 24th May, 2022 — Jyaishta 03, 1944 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 318/CS-Multi/2/2022(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 24th May, 2022: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Sri P. V. Subba Reddy, Deputy Secretary, Andhra Pradesh State Legislature	Smt. R. Vanitha Rani, Deputy Secretary, Andhra Pradesh State Legislature
Telangana	Sri Ch. Upender Reddy, Joint Secretary, Telangana State Legislature	Sri A. Sudhakar, Assistant Secretary, Telangana State Legislature
Chhattisgarh	Shri Dinesh Sharma, Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Shri Dinesh Trivedi, Under Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
Madhya Pradesh	Shri Awadesh Pratap Singh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat	Shri Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat
Tamil Nadu	Dr. K. Srinivasan, Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat	Thiru. K. Ramesh, Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat
Karnataka	Smt. M.K. Vishalakshi, Secretary(I/c), Karnataka Legislative Assembly, Vidhana Soudha, Bengaluru.	Shri B.S. Mahalingesh, Deputy Secretary, Karnataka Legislative Assembly, Vidhana Soudha, Bengaluru.

Odisha	Shri Bishnu Prasad Mishra, IAS, Secretary, OSSSC, Bhubaneswar	Shri Rangadhar Mallick, Under Secretary, Odisha Legislative Assembly
Maharashtra	Shri Rajendra Bhagwat, Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri Shivdarshan Shrinivas Sathye, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Shri Mohan Sadashiv Kakad, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Punjab	Shri Surinder Pal, Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh	Shri Ram Lok Khatana, Joint Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh
Rajasthan	Dr. Joga Ram, Secretary to Government, Local Self Government, Rajasthan, Jaipur	Shri Vinod Kumar Mishra, Chief Research & Reference Officer, Rajasthan Vidhan Sabha
Uttar Pradesh	Sri. Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow	Sri. Mohammad Mushahid, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow
Uttarakhand	Shri Mukesh Singhal, Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha	Shri Chander Mohan Goswami, Joint Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha
Bihar	Shri Shailendra Singh, Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.	Shri Pawan Kumar Pandey, Joint Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.
Jharkhand	Shri Sayed Jawed Haider, Secretary (In-charge), Jharkhand Vidhan Sabha, Ranchi	Shri Ram Niwas Das, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha, Ranchi
Haryana	Shri R. K. Nandal, Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh	Shri Vishnu Dev, Under Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh

By order,

Sd/-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary to the
Election Commission of India.